<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241167 CG-DL-E-17122022-241167

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] No. 667] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

> भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/एनपी/76/18/डीडी/204/आईएनएफ/18/डीसी/1375/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अनिल मित्तल (सदस्यता संख्या 088204), कार्यालय संख्या 37-38, सी-ब्लॉक, डीडीए मार्केट, सूरजमल विहार, दिल्ली - 110092 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) और दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अनिल मित्तल (सदस्यता संख्या 088204) के नाम को स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. अनिल मित्तल (सदस्यता संख्या 088204) का नाम, 16 दिसंबर, 2022 से स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./484/2022-23]

8406 GI/2022 (1)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/NP/76/18/DD/204/INF/18/DC/1375/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Anil Mittal (Membership No. 088204), Office No. 37-38, C-Block, DDA Market, Surajmal Vihar, DELHI-110092, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Items (5),(6),(7) and (8) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for PERMANENT removal of name of CA. Anil Mittal (Membership No. 088204) from the Register of Members and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only). In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Anil Mittal (Membership No. 088204), shall stand removed PERMANENTLY from the Register of Members with effect from 16th December, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./484/2022-23]